

राजस्थान सरकार  
सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-३ / १, क्रमांक भवन राजगाह पैलेस के पाठें जयपुर।

क्रमांक एफ ११(१२५)ओरीसी / इलाहा / इलाही / आर.एण्ड.पी. / सान्याअवि / १३/५६५६५

जयपुर दिनांक २९।८।२

### अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.११(१२५)आर.एण्ड.पी. / सकवि / ५२३०७, दिनांक ६ अगस्त, १९९४, क्रमांक एफ.११(१२५)आर.एण्ड.पी. / सकवि / ९२८१० दिनांक २४ दिसम्बर, १९९४, क्रमांक एफ.११(१२५)(२)आर.एण्ड.पी. / सकवि / १२०९९ दिनांक १५ मार्च, १९९७, क्रमांक एफ.११(१२५)आर.एण्ड.पी. / सकवि / ७४०८५ दिनांक ३ नवम्बर, १९९९, क्रमांक एफ.११(१२५)(३)(४)(५)आर.एण्ड.पी. / सकवि / ७५६८१ दिनांक १२ नवम्बर, १९९९, क्रमांक एफ.११(१२५)(६)आर.एण्ड.पी. / सकवि / १ दिनांक १ जनवरी, २०००, क्रमांक ५फ.११(१२५)(७)आर.एण्ड.पी. / सकवि / १५३ दिनांक २ जनवरी, २०००, क्रमांक एफ.११(१२५)(७) आर.एण्ड.पी. / सकवि / ४५९ दिनांक १० जनवरी, २०००, क्रमांक एफ.११(१२५)(८) आर.एण्ड.पी. / सकवि / २२८२१ दिनांक २६ जून, २०००, क्रमांक एफ.११(१२५)(९)आर.एण्ड.पी. / सकवि / ४१७४५ दिनांक २० अगस्त, २००१, क्रमांक एफ.११(१२५)(१०)आर.एण्ड.पी. / सकवि / २००२/२६७०६ दिनांक २४ जून, २००२, क्रमांक एफ.११(१२५)(१०)आर.एण्ड.पी. / सकवि / २००२/२६८३२ दिनांक २४ जून, २००२ एवं एफ.११(१२५)(११) आर.एण्ड.पी. / सान्याअवि / १३/३०२१८ दिनांक २२.३.२०१३ जो क्रमशः राजस्थान राजपत्र विशेषाक भाग १ (ख) में दिनांक ४ अगस्त, १९९४, २४ दिसम्बर, १९९४, १५ मार्च, १९९७, २२ मार्च, १९९७, ६ नवम्बर, १९९९, १५ नवम्बर, १९९९, ४ जनवरी, २०००, १५ मार्च, २०००, ३१ अगस्त, २००१, २४ जून, २००२ एवं २५ मार्च, २०१३ को प्रकाशित हुई थी, के अनुक्रम में राजस्थान के पिछडे वर्गों की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्न पिछडे वर्गों के नाम जोड़े जाते हैं :-

क्र.सं.	जाति/वर्ग जिसे सम्मिलित किया गया है।	अधिसूचना दिनांक ६.६.१९९४, २४.१२.१९९४, १५.३.१९९७, ३.११.१९९९, १२.११.१९९९, १.१.२०००, २.१.२०००, १०.१.२०००, २६.६.२०००, २०.८.२००१, २४.६.२००२ एवं २२.३.२०१३ द्वारा जारी सूची की क्रम संख्या जिस पर इस जाति/वर्ग को जोड़ा गया है एवं पृथक क्रमांक पर जाति/वर्ग जोड़ा गया है।
१	इलाहा / इलाही (दाई-माई)	सूची में पृथक क्रमांक ८६ पर "इलाहा / इलाही (दाई-माई)"

आज्ञा से,

(जौ. मनजीत सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव

८१।८।८

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय पूर्व अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राज. जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राज. सरकार।
5. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
6. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
7. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समर्स्त संभागीय आयुक्त।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान हाईकोट, जोधपुर / जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर।
12. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पिछङ्ग वर्ग आयोग, जयपुर।
13. निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्य मंत्री, राजस्थान।
14. समस्त विभागाध्यक्ष।
15. समस्त जिला कलकटर।
16. समस्त पुलिस अधीक्षक।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
18. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
19. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में प्रकाशन हेतु।
20. गार्ड फाइल।

(डॉ. मन्जीत सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव

२९।८।२०